

1. श्री इन्द्राज गौदारा, सुरेन्द्र सिंहाग - वादी
श्री अमरीक सिंह - प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 19/02/21

वादी की और से इन्द्राज गौदारा, सुरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री अमरीक सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 19.2.21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी सुखचैन सिंह को चक 1 जेडीडब्ल्यू खाता संख्या 67/66 में स्व. सरजीत कौर के नाम दर्ज 2.783 हैक. मय गैरमुमकिन भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 लाभ सिंह को वाके चक 3 जे आर के खाता संख्या 3/3 में स्वयं व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज कुल 3.162 हैक. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव सिंह को वाके चक 2 जेडीडब्ल्यू खाता संख्या 74/73 में स्वयं के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज कुल 2.783 हैक. भूमि व इसी चक के खाता संख्या 75/74 में स्वयं के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक. मय गैरमुमकिन कुल तादादी 4.807 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19.2.21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

मिलान किया

.....

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।